भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2283

शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं का प्रदर्शन

2283. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

श्री बृज लाल:

श्री सुखेन्दु शेखर रॉय:

श्री सामिक भट्टाचार्य:

श्री सुभाष बराला:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न क्षेत्रों में लागू उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक प्राप्त निवेश, हासिल किए गए उत्पादन और सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएलआई ढाँचे के अंतर्गत प्रदर्शन और सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन योजनाओं में मध्यावधि में कोई संशोधन किया गया है अथवा इनकी अवधि को बढ़ाया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण, निर्यात और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार ने घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करने, निवेश आकर्षित करने, निर्यात बढ़ाने, रोजगार का सृजन करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारत के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1.91 लाख करोड़ रुपये के कुल अनुमोदित परिव्यय के साथ प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में 14 उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों को मंजूरी दी है। इन स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित नोडल

मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2026 तक, विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों के तहत 892 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। अधिकांश अनुमोदित स्कीमों के तहत विनिर्माण शुरू हो गया है, जबकि शेष क्षेत्रों में उनकी अनुमोदित समय-सीमा के अनुसार कार्यान्वयन किया जा रहा है।

पीएलआई स्कीमों ने देश भर में महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियां दर्ज की हैं। दिनांक 31.03.2026 तक, पीएलआई स्कीमों के तहत संचयी उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

मापदंड	**उपलब्धि**
निवेश	2.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक
उत्पादन/बिक्री	22.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक
रोजगार	14.15 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)

(ग): विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों का क्षेत्रगत प्रभाव निम्नानुसार है:-

- व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में, स्कीम की शुरूआत के बाद से मोबाइल फोन उत्पादन में लगभग 2.4 गुना की वृद्धि हुई है। मोबाइल फोन के आयात में लगभग 77% की कमी आई है तथा वर्तमान में भारत में उपयोग किए जाने वाले लगभग 99.2% मोबाइल फोन का विनिर्माण घरेलू रूप से ही किया जा रहा है।

- फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में इस स्कीम के तहत 3.64 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संचयी बिक्री दर्ज की गई है। इसके साथ ही, 1,931 फार्मास्यूटिकल उत्पादों का घरेलू विनिर्माण संभव हुआ है, जिनमें 191 बल्क ड्रग्स ऐसे हैं जिनका पहली बार भारत में विनिर्माण किया गया है। इससे देश की घरेलू विनिर्माण क्षमता सुदृढ़ हुई है।

- बल्क ड्रग्स क्षेत्र में, 26 महत्वपूर्ण एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) के लिए लगभग 55,000 मीट्रिक टन की विनिर्माण क्षमता स्थापित की गई है, जिससे घरेलू उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा पैरासिटामोल, लेवोफ्लोक्सासिन और नॉरफ्लोक्सासिन जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता में कमी आई है।

- चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण हेतु पीएलआई स्कीम के कारण सीटी स्कैनर, एमआरआई सिस्टम, कैथ लैब तथा अल्ट्रासोनोग्राफी उपकरण जैसे उन्नत

चिकित्सा उपकरणों का घरेलू विनिर्माण सुगम हुआ है। इस स्कीम के अंतर्गत 22 आवेदकों ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है तथा 55 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण शुरू किया जा चुका है।

- दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद क्षेत्र में, इस स्कीम ने स्वदेशी 4जी प्रौद्योगिकी तथा 5जी दूरसंचार उपकरणों की घरेलू विनिर्माण क्षमता के विकास को सहायता प्रदान की है, जिससे भारत के दूरसंचार विनिर्माण ईकोसिस्टम को मजबूती मिली है।

- व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम ने घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के उल्लेखनीय विस्तार में योगदान दिया है। कंप्रेसर की विनिर्माण क्षमता वर्ष 2021 के 1 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 10 मिलियन हो गई है। साथ ही, पीसीबीए तथा क्रॉस फ्लो फैन जैसे प्रमुख घटकों का स्थानीयकरण भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप एयर कंडीशनर के अनेक महत्वपूर्ण घटकों का घरेलू विनिर्माण प्रारंभ हुआ है।

(घ): सरकार संबंधित कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों और उद्योग हितधारकों के परामर्श से उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों के कार्यान्वयन की निरंतर समीक्षा करती है। कार्यान्वयन के अनुभव और क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर**,** सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के अनुमोदन पर प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए कुछ पीएलआई स्कीमों के अनुमोदित फ्रेमवर्क के भीतर उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।

(ङ.): पीएलआई स्कीमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का एक प्रमुख आधार है। ये स्कीमें घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देती हैं**,** निवेश को प्रोत्साहित करती हैं**,** निर्यात को बढ़ावा देती हैं**,** रोजगार का सृजन करती हैं और रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाती हैं।

इसके अलावा, सरकार ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, निर्यात हब के रूप में जिले, स्टार्टअप इंडिया और घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के उपायों जैसी पूरक पहल की हैं। पीएलआई स्कीमों के साथ इन पहलों ने भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया है, कई रणनीतिक क्षेत्रों में आयात निर्भरता को कम किया है तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत किया है।
